राजस्थान सरकार

।। कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर ।।

E-mail : hs.ajmrj@gmail.com Tel. No. 01452787416

क्रमांक: उ.सु.का./सामान्य/कय/2023/ 1442 दिनांकः- 18 अगस्त, 2023

खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण सूचना
वर्ष 2023-24
(पीने के मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति कार्य)

राजस्थान के माननीय राज्यपाल् महोदय की ओर से उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेंर में बंदियान एवं स्टाफ हेतु पीने के मीठे पानी के टैंकर क्षमता-5000 और 6000 ली. की आपूर्ति हेतु राजस्थान में स्थित व पंजिकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाईर फर्मो एवं पानी टैंकर व्यवसाय से संबंध फर्मो, ठेकेदारों व व्यक्तियों/व्यवसयियों से ऑफलाइन द्विप्रक्रमी बोली आमंत्रित की जाती है-

क.स.	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय	प्रतिभूति राशि	बोली दस्तावेज व फार्म शुल्क	फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय
01	पीने के मीठे पानी के टैंकर की आपूर्ति कार्य	2.50 लाख	5000.00	200.00	21.08.2023 को सायं 06 बजे से	29.08.2023 को दोपहर 03 बजे तक	29.08.2023 को दोपहर 03.30 बजे

नोटः- बोली विज्ञप्ति, सूचना जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट "www.dipr.rajasthan.gov.in", उपापन पोर्टल की वेबसाइट "www.sppp.rajasthan.gov.in" एवं कारागार विभाग की वेबसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" पर भी देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

UBN NO. JLD2324RFP0002

पारख

अधीक्षक
उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

क्रमांक: उ.सु.का./सामान्य/कय/2023/ 1443-52 दिनांकः- 18 अगस्त, 2023

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
02. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है

कि खुली बोली आमंत्रण सूचना को अपनी वेबसाइट पर अपलोड़ करते हुऐ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43 के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय अंक में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर अविलम्ब प्रकाशन कराने का कष्ट करावें।

03. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा प्रपत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करावें।

04. नोटिस बोर्ड सेंट्रल जेल अजमेर/नगर निगम अजमेर/कलेक्ट्रेट अजमेर/कार्यालय हाजा वास्ते चस्पाकर प्रचार-प्रसार करने हेतु।

05. श्री हनुमाननाथ, प्रहरी 3131, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर को देकर लेख है कि उक्त निविदा को इस कार्यालय की आईडी से "www.sppp.rajasthan.gov.in" पोर्टल पर अपलोड करे।

06. रक्षित पत्रावली।

पारस

अधीक्षक

उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

।। कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर ।।

E-mail : hs.ajmrj@gmail.com
Tel. No. 01452787416

क्रमांक: उ.सु.का./सामान्य/क्रय/2023/1453 दिनांक:- 18 अगस्त, 2023

खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण सूचना वर्ष 2023-24

राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेंर में बंदियान एवं स्टाफ हेतु पीने के मीठे पानी के टैंकर क्षमता-5000 और 6000 ली. की आपूर्ति हेतु राजस्थान में स्थित व पंजिकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई फर्मो एवं पानी टैंकर व्यवसाय से संबंध फर्मो, ठेकेदारों व व्यक्तियों/व्यवसयियों से ऑफलाइन द्विप्रक्रमी बोली आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत राशि 2.50 लाख रू, बोली प्रतिभूति राशि 5000.00 रू एवं बोली दस्तावेज व फार्म शुल्क 200.00 रू है। इच्छुक बोलीदाता अपनी निविदा दिनांक-29.08.2023 समय-दोपहर 03.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करा सकता है। बोली विज्ञप्ति, सूचना जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट "www.dipr.rajasthan.gov.in", उपापन पोर्टल की वेबसाइट "www.sppp.rajasthan.gov.in" एवं कारागार विभाग की वेबसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" पर भी देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

UBN JLD2324RFP0002

पारस
अधीक्षक
उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

पारक

बोलीदाता द्वारा घोषणा

(देखिए नियम 48-VII)

(एस.आर.11)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/हमने जिस कार्य/सेवा के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड प्राधिकृत डीलर / विणपन एजेन्ट / सर्विस प्रदाता फर्म / पंजिकृत ठेकेदार / बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाइर्स / पानी सप्लाई व्यवसाय से संबंधित व्यवसायी फर्म का प्राधिकृत प्रतिनिधि हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया, रद्द किया जा सकेगा।

❖ (जो लागू ना हो, उसे काट दिया जायें।)

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

पारक

(100 रू. के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते है कि, मैंने/हमने पीने के मीठे शुद्व पानी के टैंकर आपूर्ति कार्य हेतु तकनीकी बोली बाबत् निर्देश बिन्दु सं.....के अनुसार क्रम संख्या 01 से 29 तक में जो घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र/अन्य सूचना संलग्न किए गये हैं, वे सत्य एवं पूर्णतया सही है। हमारी फर्म को कभी भी राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग/उपक्रम द्वारा दण्ड स्वरूप ब्लैकलिस्ट/डीबार नहीं किया गया है। हमारी फर्म न्यूनतम विगत दो वर्षो से दी गई बोली से संबंधित मद में व्यापार करती है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो कोई न्यायिक कार्यवाही किये बिना एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई, उसे रद्द कर दी जावे एवं हमारे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए कारागार विभाग राजस्थान, जयपुर एवं कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर स्वतंत्र है।

❖ (जो लागू ना हो, उसे काट दिया जायें।)

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

पार ~~60~~

कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

परिशिष्ट 'द'

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/सेवा के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड प्राधिकृत डीलर/विणपन एजेन्ट/सर्विस प्रदाता फर्म/पंजीकृत ठेकेदार/फर्म का प्राधिकृत प्रतिनिधि हूॅ। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ,ब,स एवं द तथा बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरश: स्वीकार करते है।

मैं/हम कारागार विभाग एवं अन्य किसी भी राजकीय विभाग से ब्लैक लिस्टेड नही है। यदि ऐसा पाया जावें तो उसके लिए संबंधित नियमों/कानून के तहत कार्यवाही के लिए सहमत है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हसताक्षर
मय मोहर

पारस

कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

(पीने के मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति बोली विज्ञप्ति वर्ष 2023-24)

परिशिष्ट 'अ'

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता की फर्म का पूरा नाम व पता - ....
....
....

2. फोन नं./मोबाईल नं. व ई-मेल आईडी - ....
....

3. बोली संबोधित है:- **कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।**
फोन नं. 01452787416
ई-मेल आईडी- hs.ajmrj@gmail.com

4. (1)बोली प्रपत्र शुल्क राशि रू. 200.00 - डी.डी के द्वारा जमा करा दी गयी है। डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक..................
जारीकर्त्ता बैंक का नाम..
(2)बोली प्रतिभूति राशि रू. 5000.00 - डी.डी के द्वारा जमा करा दी गयी है। डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक....................
जारीकर्त्ता बैंक का नाम..

5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के तहत पंजीयन के प्रमाण पत्र का विवरण- (यदि निविदा फर्म सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हो तो) ....
....
....

पारख

6. ठेकेदार/पार्टनरशीप फर्म होने की दशा में संबंधित विभाग में पंजीयन के पमाण पत्र का विवरण- ....

7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र का विवरण- ....

8. जीएसटी रिटर्न की नवीनतम प्रति - ....

9. बोली दाता के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा हस्ताक्षर करने पर विधिक पावर ऑफ अटनी की प्रति (500 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित)- ....

10.आयकर पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति - ....

11.विधिक लाइसेंस की प्रति (यदि आवश्यक हो तो)- ....

12.एसआर 11 के अनुसार घोषणा पत्र - (एमएसएमई यूनिट होने की दशा में) ....

13.न्यूनतम दो वर्ष अनुभव का स्व:घोषणा पत्र- ....

14.अनुभव के प्रमाणन हेतु कार्यादेशों की प्रति- ....

15.विगत दो वर्षो में वार्षिक टर्नओवर लगभग 03 लाख- या निविदा बोली राशि के बराबर तक निम्नानुसार सलंग्न है -

क.स.	वर्ष	टर्नओवर
01	2020-21	....
02	2021-22	....

(सीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति सलंग्न है) ....

16.बोली शर्तानुसार वांछित आवश्यक प्रमाण-पत्र व दस्तावेज की स्वप्रामणित प्रति इसके साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दी गई है- ....

17.फर्म कभी-भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य संस्थान ....

पारस

द्वारा काली/विवर्जित सूची में नहीं रखी गयी है का शपथ पत्र (100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित) ....

....

....

18. फर्म प्राइवेट/प्राइवेट लि./पब्लिक लि./संस्था है - (जो लागू है (✓) का निशान अंकित करे) ....

....

19. फर्म के निम्न भागीदार है:-

क.स.	नाम	पदनाम	पता	फोन नं.
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

20. फर्म के मालिक/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक आदि का विवरण:-

क.स.	नाम	पदनाम	पता	फोन नं.
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

21. परिशिष्ठ अ,ब,स,द एवं एनेक्सर-A,B,C,D संलग्न है- ....

22. बोली प्रपत्र नियम व शर्तो के प्रत्यके पृष्ठ को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है इस आशय की पुष्टि हेतु बोली प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्यके पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। ....

....

....

....

23. आपूर्ति किये जाने वाली मीठे पानी के टैंकर सप्लाई से संबंधित नियम व शर्तो को भली-भांति पढ़ व ....

....

पारस

समझ लिया है।तदुपरांत वित्तीय दरें अंकित की गई है। ....

24.कार्योदेश प्राप्त होने की दिनांक से आदेशित मात्रा अनुसार दैनिक रूप से पीने के मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति करने में सक्षम व सहमत हूँ। ....
....
....

मैं/हम ....
अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर द्वारा जारी की बोली सूचना कमांक......................दिनांक.................................
में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त बोली प्रपत्र में अंकित सभी नियम व शर्तो को स्वीकार करने व जारी किये जाने वाले संशोधित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते है। निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

मैं/हम घोषणा करते है कि हमने जिस आपूर्ति हेतु बोली दी है उनके मान्य मूल के पंजीकृत/व्यवसायी/फर्म/ठेकेदार/सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाई है (जो लागू है उस पर (✓) का निशान लगाऐ) तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव की पुष्टि हेतु पूर्व में किये गये कार्यो के कार्योदेशों की प्रतियां किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी पूर्ण बोली प्रतिभूति राशि/अमानत राशि जब्त की जावें और बोली जो स्वीकृत की गई है वो रद्द कर दी जावे साथ ही विभाग हमारे विरूद्व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

निविदादाता के ह0
मय मोहर
पता..
....

Any person participating in a procurement process shall -

i) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

j) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

k) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

l) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

m) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

n) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

o) disclose conflict of interest, if any; and

p) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to:

h) have controlling partners/shareholders in common; or

i) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

j) have the same legal representative for purposes of the Bid; or

k) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

l) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

m) the Bidder of any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

n) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

पारख

Annexure-B

Declaration by The Bidder regarding Qualification Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of.. in response to their Notice Inviting Bid No. .... Dated...................... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

6. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
7. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
8. I/We are not insolvent in receivership , bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
9. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
10. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of Bidder

Place :

Name:

Designation:

Address:

पारस

The designation and address of the First Appellate Authority: DIG, Prison Range office Udaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority: IG, Head Office, Prison Department Jaipur

8) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

9) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

10) If the officer designated under Para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

11) Appeal not to lien in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

f) Determination of need of procurement;

g) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

h) The decision of whether or not to enter into negotiations;

i) Cancellation of a procurement process;

j) Applicability of the provisions of confidentiality

12) Form of Appeal

d) An appeal under Para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

e) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

f) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

13) Fee for Filling Appeal

c) Fee for filling appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non refundable.

d) The fee shall be paid in the form of ban demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

14) Procedure for disposal of appeal

e) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

f) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.

g) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

h) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

पारक

Form No. – 1

(See sub-rule 1 of rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before.. (Appellate Authority)

1 Particulars of appellant:

(i) Name and father's name of the appellant :..

(ii) Official address :..

(iii) Residential address :..

2. Name and address of the respondent(s)

(i) ....

(ii)..

(iii)..

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved

....

4. If the Appellant proposes to be represented by ....

a representative the name and postal address ....

of the representative. ....

5. Number of affidavits and documents enclose with the appeal:

6. Grounds of appeal:-

....

....(Supported by an affidavit)

7.Prayer...

....

Place ....

Date ....

पारख

4. **Correction of arithmetic errors.-**

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

d) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

e) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

f) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

5. **Procuring Entity's Right to vary Quantities.-**

d) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change n the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

e) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

f) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the suppliers fail to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

6. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

Form B

Format of Affidavit

(See clause 11)

I...S/o................................Aged...............Yrs............ residing at...Proprietor/Partner/Director of M/s...do hereby solemnly affirm and declare that:

(a) My/Our above noted enterprise M/s...has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center...The acknowledgement No. is ....dated.......................................and has been issued for manufacture of following items:

Name of Item	Production Capacity (Yearly)
I.	
II.	
III.	
IV.	

(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Place...

Signature of
Proprietor/Director Authorized Signatory
with Rubber Stamp and date

Note : If the cost of items to be procured/hired exceeds Rs. 100000.00 (Rupees One Lakh), the Procuring Entity would be required to have the production unit inspected to satisfy itself of the production capacity and that the quality control measures are installed.

F.1(8)/FD/GF&AR/2011
By Order of the Governor,
Kalraj Misr
Special Secreatary to Govt.
Finance (Budget)

पारस

कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

(पीने के मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति बोली विज्ञप्ति वर्ष 2023-24)

अन्य नियम एवं शर्ते

01. बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक-29.08.2023 को दोपहर 03 बजे तक ऑफलाइन ही स्वीकार की जाएगी।

02. बोली के दो लिफाफे 01. तकनीकी बिड 02. वित्तीय बिड के पृथक-2 प्रस्तुत करने होंगे।

03. तकनीकी बिड दिनांक-29.08.2023 को दोपहर 03.30 बजे कार्यालय उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। यदि किसी कारण से समस्त बोलियॉ नही खोली जा सकी तो आगामी कार्य दिवस में बोली खोले जाने का कार्य जारी रहेगा।

04. तकनीकी बिड़ के प्रथम लिफाफे में निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज को अनिवार्यतः पूर्ति करे।

01. बोली घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र सं. 03/2013 के अनुसार परिशिष्ट-अ,ब,स,द एवं ऐनेक्सर-A,B,C,D में भी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

02. तकनीकी बिड के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 200.00 व बोली प्रतिभूति राशि रू. 5000.00 का डिमांड़ ड्राफ्ट, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के हक में बनाकर प्रस्तुत करना होगा।

03. राशि रू. 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पर ब्लैक लिस्टेड/डीबार नहीं होने का शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित (संलग्न-अ) तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

नोट- निविदा बोली मोहर बंद लिफाफों में भौतिक रूप से उपापन कार्यालय को निर्धारित दिनांक व समय तक प्राप्त हो जाने चाहिए यदि डाक निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त होती है तो इसके लिए कार्यालय/विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही देरी से प्राप्त निविदा को कार्यलय/विभाग स्वीकार करेगा।

05. राजस्थान में पंजिकृत सूक्ष्म व लघु उद्योग की दशा में उन्हें पंजीयन के प्रमाण-पत्र की प्रति जमा करानी होगी तभी तदनुसार छूट का लाभ देय होगा।

06. अधिकृत फर्म/ठेकेदार का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

07. जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति एवं जीएसटी रिटर्न की नवीनतम प्रति जमा करानी होगी।

पारस

08. पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति जमा करानी होगी।

09. बोली प्रपत्र नियम व शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है इस आशय की पुष्टि हेतु बोली प्रपत्र एवं शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा कराने होंगे।

10. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के लिए यदि किसी प्रकार के विधिक लाइसेंस की आवश्यकता हो तो उसकी प्रतियाँ एवं अन्य विधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता हो तो बोलीदाता को अपने स्तर से प्रापत कर जमा करानी होगी।

11. यदि बोलियाँ राजस्थान में स्थित पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के द्वारा ही दी जाती है तो इस आशय का घोषणा पत्र एस.आर.11 में हस्ताक्षर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

12. बोलीदाता न्यूनतम विगत दो वर्षो से दी जा रही बोली से संबंधित मद में व्यापार/कार्य करता है इस आशय का स्व घोषणा पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

13 बोली दाता को विगत दो वर्षो के टर्नओवर की सीए द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट व कार्योदेशों की प्रति जमा करवानी होगी।

14. वित्तीय बिड जो कि पृथक मोहरबंद लिफाफे में प्रति यूनिट दर में अंकित की जाएगी तथा जीएसटी को पृथक से दर्शाया जाएगा तथा अन्य समस्त कर/व्यय को प्रति यूनिट की दर में शामिल करते हुए अपनी दरे प्रस्तुत करनी होगी।

15. बोलीदाता, निविदा में अंकित अनुसार तथा कार्योदेशों की अनुरूप वांछित आपूर्ति करने हेतु बाध्य रहेगा।

16. आपूर्ति करने में आपूर्तिकर्त्ता असफल रहता है तो आपूर्ति अस्वीकार मानी जाएगी एवं बोली के नियम व शर्तो के अनुसार आपूर्ति के विरूद्व प्रति यूनिट मूल्य में परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित की जाकर नियमानुसार वसूली की जाएगी।

17. वित्त विभाग द्वारा समय-2 पर जारी आदेश, राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान पूर्णत: लागू होंगे।

18. बोलीदाता द्वारा कोई भी असत्य जानकारी दिये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग/कार्यालय स्वतंत्र होगा।

19. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑफलाइन होगी।

20. कार्यालय द्वारा ई-मेल से दी गई/प्राप्त की गई सूचना भी मान्य होगी।

21. तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी।

22. निविदत्त दरों की वैधता बोली खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस तक अनुमोदन हेतु मान्य होगी।

23. निविदा में अंकित मीठे पानी के टैंकर की मात्रा आवश्यकतानुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता वांछितानुसार आपूर्ति हेतु बाध्य रहेगा।

24. उक्त वर्णित नियम एवं शर्तो की पालना के अभाव में बोली को स्वीकार करने या न करने का अधिकार विभाग/कार्यालय/उपापन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

25. एक से अधिक फर्मो के समान रहने की स्थिति में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

26. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

01. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर
दूरभाष नं. 01452787416 ई-मेल hs.ajmrj@gmail.com

27. उक्त समस्त कार्य हेतु किसी भी प्रकार का अग्रीम भुगतान देय नही किया जायेगा।

28. देय भुगतान राशि में से राज्य/केन्द्र सरकार के नियम अनुरूप संमस्त विधि मान्य करो/अधिभारों/आयकर आदि की नियमानुसार कटौती कारागृह स्तर से की जायेगी।

पारस

बोलीदाता के ह0 मय मोहर
पूरा नाम व पता

अधीक्षक
उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर।

पारस

कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर
बोली विज्ञप्ति वर्ष 2023–24
(पीने के मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति कार्य हेतु)
नियम एवं शर्तें
परिशिष्ट–स

(1) **बोली प्रपत्र की जानकारी :– ऑफलाईन बोली प्रपत्र पीने के मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति कार्य केवल राजस्थान में स्थित पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों/मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति व्यवसाय से संबंध व्यवसायियों/पंजीकृत ठेकेदारों से आपूर्ति कार्य हेतु ऑफलाइन द्विप्रक्रमी बोली आमंत्रण करने बाबत ।**

(2) **आपूर्ति किये जाने वाले पानी के टैंकरों का विवरण–** आपूर्ति किये जाने वाले पीने के मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति कार्य का विवरण संबंधित बोली प्रपत्र में दर्शाये गया है। फिर भी और स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिदिन 5000 ली. या 6000 ली. क्षमता वाले टैंकर से आपूर्त करना होगा तथाउसे जेल परिसर में स्थित वाटर टैंक में खाली करने होंगे। बोली प्रपत्र में दर्शाये विवरण को ही आधार मानकर बोलीदाता को एक ही दर अंकित करनी चाहिये। **परिशिष्ट – ब** में अंकित कार्य की, कार्योदेश जारी होने की दिनांक से दो दिवस में आपूर्ति करनी होगी।

(3) **क्रय हेतु सक्षम अधिकारी:–**

उपापन समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली प्रपत्र में अंकित कार्य के लिये कार्य आदेश जारी करने हेतु कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होंगे।

(4) **वित्तीय दरें :–**

पानी के टैंकरों का प्रदाय बोली में अंकित कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर पर करना होगा। अतः बोलीदाता पानी के टैंकरों की दर प्रति यूनिट में समस्त व्ययों को शामिल करते हुये अंकित की जावेगी। जी.एस.टी. को पृथक से दर्शाया जावेगा तथा कुलर दर निर्धारित कॉलम में सुस्पष्ट अंकित करना होगा तथा उसे अक्षरों में भी अंकित करना होगा।

नोटः–

(1) निविदा दरें बिना GST कर के, अंकित की जावे एवं नियमानुसार लागू सभी प्रकार के करों जैसे RGST/ IGST/ CGST/ अन्य कर की राशि निर्धारित कॉलम में अलग–अलग दर्शाई जावे।

(2) क्रय अधिकारी द्वारा बोली में अंकित स्थान पर पानी के टैंकरों की आपूर्ति करने का समस्त खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा। अतः दरें विभिन्न प्रकार के समस्त व्ययों को शामिल करते हुये अपनी निविदा दर प्रस्तुत करे।

(3) आपूर्ति किये जाने वाले पानी के टैंकरों के पानी की गुणवत्ता संबंधित को जॉच कराकर सुपुर्द कराने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा अथवा कार्यालय द्वारा भी अपने स्तर पर गुणवत्ता की जॉच करायी जा सकती है। गुणवत्ता में कमी/खामी पाये जाने पर निविदा अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

(4) बोलीदाता आवश्यक रूप से मूल दर व उस पर कर का पृथक–पृथक निर्धारित कॉलम में अंकन करेगा। यदि बोलीदाता वित्तीय बिड में ऑफलाईन दरों के साथ किसी प्रकार के कर का निर्धारित कॉलम में अंकन नहीं करता है तो दरें कर सहित मानी जावेगी। कर अंकित नहीं करने के पक्ष में उचित परिपत्र/आदेश तकनीकी बिड़ के साथ संलग्न करें। वित्तीय दर बिड़ में कर राशि निर्धारित कॉलम में अलग से अंकित करने पर राज्य /केन्द्र सरकार की तत्समय लागू कर दर से नियमानुसार कर राशि देय होगी । परन्तु कर

पारख

राशि का पृथक से अंकन नहीं करने पर फर्म को कर राशि देय नहीं होगी अपितु कर की कटौती प्रस्तुत कर से आवश्यक रूप से की जायेगी। स्वयं फर्म को वहन करनी होगी ।

(5) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन RTPP Rule 2013 के नियम 65 के प्रावधान के अनुसार होगा।

(5) **बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधता:–**

बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों पर कार्यदेश जारी होने के 05 दिवस में अनुबंध करने को बाध्य होगा। वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निर्णय हेतु वैध होगी एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा। अन्यथा बोली शर्त संख्या 19 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरों की वैधता **शर्त संख्या 7** से नियंत्रित होगी।

(6) **अनुभवः–** बोलीदाता फर्म को गत दो वर्ष में राजकीय विभागों में पीने के मीठे पानी के टैंकरों की सप्लाई के निम्नानुसार कार्यादेशों व संतोषप्रद सप्लाई का स्वः–घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त घोषणा की पुष्टि हेतु निविदा में अंकित संबंधित समकक्ष कार्य/ सप्लाई 3.0 लाख के न्यूनतम दो अथवा निविदा राशि तक का कार्यादेश की प्रति सलंग्न करनी होगी।

(7) **संविदा की अवधि :–**

अनुमोदित/स्वीकृत दरों की वैद्यता अवधि अनुबंध की दिनांक से वित्त वर्ष 2023–24 की समाप्ति तक होगी। आगामी नई बोली होने पर उसकी दरें अनुमोदित होने की दिनांक तक पूर्व स्वीकृत दरों पर आपूर्ति करने के लिए बोलीदाता बाध्य होगा तथा कार्यालय की उपापन समिति के अनुमोदन पर कय अधिकारी एवं बोलीदाता के आपसी सहमति पर अनुबंध अवधि तीन माह के लिए अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर बढाई जा सकती है।

(8) बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार निविदा प्रपत्र शुल्क व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा एवं 100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र पर (संलग्नक–अ) तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नोटः–

1. विभाग में किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की बोली प्रतिभूति राशि हेतु समायोजित नहीं किया जावेगा।
2. जो फर्म, कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर द्वारा बोली में पानी के टैंकरों हेतु लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उस को बोली प्रतिभूति राशि प्रभावी दरों से जमा करवानी होगी। लेकिन उन्हे अपने स्थाई पंजीकरण की एवं क्षमता प्रमाण –पत्र की प्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही भौतिक रूप से भी उपरोक्त राशि के डिमांड ड्राफ्ट .के साथ निर्धारित समय तक कार्यालय में प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
3. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के उपकम को बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने से छूट है परंन्तु नियमानुसार इन उपकमों को बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र एवं राजकीय उपकम होने का प्रमाण पत्र तकनिकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(9.) बोली प्रतिभूति राशि का समपहरणः– बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरण (जब्त) कर लिया जायेगाः–

(i) जब बोली लगाने वाले बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपन्तरित करता है।

(ii) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / आपूर्ति आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार का निष्पादन नहीं करता है।

(iii) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय /आपूर्ति आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या आपूर्ति का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

(iv) जब बोली लगाने वाला प्रदाय / आपूर्ति आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन

पारस

प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(V) जब बोली लगाने वाला अधिनियम ओर इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाले के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(10) **निर्धारित विवरण के अनुसार ही पानी के टैंकरों की आपूर्ति करना :–** बोली प्रपत्र परिशिष्टि–ब में उल्लेखित पीने के मीठे पानी के टैंकरों की, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर पर F.O.R आपूर्ति करनी होगी एवं आपूर्ति किये गये पानी की गुणवत्ता शुद्व व मीठा होना चाहिए।

(11) **स्वीकृत कार्य के मूल्य का भुगतान:–**

(i) किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, पानी आपूर्ति की सुपुर्दगी के लिए बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार तीन प्रतियों में मासिक बिल प्रस्तुत करने पर कोषालय के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जायेंगे।

(iii) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित गुणवत्ता के अनुरूप होंगे।

(12) **बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य एजेन्सी को न देना:–**

बोलीदाता बोली किसी अन्य ऐजेन्सी को न तो Sublet करेगा और न ही अन्य एजेन्सी से पानी के टैंकरों की सप्लाई करवाएगा। यदि ऐसा किया जाना संज्ञान में आता है तो अनुबंध निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(13) **समानान्तर बोली:–**विभाग के पास समानान्तर बोली तय करने का अधिकार सुरक्षित रहेंगा।

(14) **क्रय की मात्रा:–** कार्यादेश मात्र दर अनुमोदन एवं आपूर्ति हेतु जारी होगा तथा टैंकर आपूर्ति हेतु दैनिक मांग अनुसार मोबाईल के माध्यम से आदेशित मात्रा आपूर्ति करनी होगी तथा आदेशित टैंकर आपूर्ति आदेश दिये जाने के दो घण्टे की अवधि में आपूर्ति करने होंगे। न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी।

(15) **सामान सप्लाई की अवधि:–** बोलीदाता को आपूर्ति, कार्योदेश जारी दिनांक से **दो दिवस में** अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर पर प्रारंभ करनी होगी।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता पानी के टैंकर सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है "सम्पूर्ण कार्योदेश की(कर सहित) कीमत के आधार पर" परिनिर्धारित क्षति पूर्ति के रूप में (न कि दण्ड के रूप में) राशि वसूल की जावेगी।

(क)	पानी के टैंकर सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर	2.5 प्रतिशत
(ख)	पानी के टैंकर सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर	5 प्रतिशत
(ग)	पानी के टैंकर सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर	7.5 प्रतिशत
(घ)	पानी के टैंकर सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर	10 प्रतिशत

सामान्यतः कार्योदेश जारी करने की दिनांक से 03 दिन के पश्चात आपूर्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत पानी के टैंकरों का प्रदाय पूरा करने के लिए समयवृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में प्रदाय अवधि समाप्ति से पूर्व उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह इसके लिए निवेदन, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त उसी समय करेगा। यदि पानी के टैंकरों का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा, बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों

से हुई है, तो सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति पूर्ति सहित या रहित भी की जा सकेगी। (स्थानीय कय समिति की राय से उचित कारणों पर सम्पूर्ण कार्य के कर सहित मूल्य पर 10 प्रतिशत के रूप में परिनिर्धारित क्षति पूर्ति वसूल कर आपूर्ति स्वीकार की जा सकेगी) पानी के टैंकरों की आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर तुरन्त कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर को लिखित में व दूरभाष पर अवगत कराना अनिवार्य होगा ताकि विवाद की स्थिति में तदनुसार साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

(16) **आदेशित आपूर्ति के अभाव में बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर कय करना :–**

1. बोलीदाता कार्योदेश की आपूर्ति निर्धारित अवधि में या शर्त संख्या 15 के अध्याधीन बढी हुई अवधि में करने में असफल रहता है, तो ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेश जारी कर्ता अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण होगा कि बोलीदाता पानी के टैंकरों की आपूर्ति में असफल रहा है, तथा सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति पूर्ति आरोपित करने के आदेश दे सकेगा।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप विभाग/केता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह पानी के टैंकर बोलीदाता की जोखिम व लागत पर उपापन समिति के माध्यम से कय कर सकेंगे। जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नहीं होगा।

(17) **प्राईस फॉल क्लोजः–** यदि अनुबंध अवधि में बोलीदाता राज्य सरकार की अन्य किसी भी बोली में अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा अनुबन्ध अवधि के दौरान उसी प्रकार के कार्य को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है तो उसे अध्यक्ष, उपापन समिति, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर आपूर्ति किये गऐ पानी के टैंकरों की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है , उसी दिनांक से अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर को दिये गये पानी के टैंकरों की कीमत भी कम दर से लगानी होगी । **अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को पानी के टैंकर आपूर्ति नहीं करने का प्रमाण–पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।**

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तों की पालना नहीं की गई है तो बोलीदाता, विभाग से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद तुरन्त जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा, राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(18) **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करनाः–**

(अ) उपापन समिति द्वारा स्वीकृत किये गए कार्य की सूचना जारी करने पर बोलीदाता को पत्र जारी होने के 02 दिन के अन्दर आदेशित मूल्य के लिए नियमानुसार अपेक्षित राशि 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध कर निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति_राशि, आदेशित मूल्य के **05 प्रतिशत** के बराबर निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर को जमा करानी होगी, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में सम्पूर्ण बोली की जमा करायी गई प्रतिभूति राशि से कम नहीं होगी :–

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/बैंक गारन्टी जो अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के नाम हो ।
2. एन.एस.सी.(फर्म के नाम से कय की गई हो) जो, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के नाम प्लेज्ड हो।

नोटः–

1. पूर्व वर्षो की जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि /बोली प्रतिभूति राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नहीं किया जावेगा।
2. वर्तमान बोली की बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित कार्य का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली के कार्य का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।
3. जो फर्म अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर द्वारा बोली में दर्शाई गए कार्य के लिये लघु उघोग इकाई के रूप में पंजीकृत है, उन्हे कार्य के लिये उस समय प्रभावी दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
4. राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपकमों को सुरक्षा राशि जमा कराने से छूट प्राप्त है।

पारस

(ब) **कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः–** कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा:–

(I) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(II) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(III) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(स) बोलीदाता, करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i)यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजिकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं वर्ष सहित पंजीयन की अभिप्रमाणित प्रति।

(iii)एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

(19) <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा न कराने , अनुबन्ध पत्र भरकर न देने एवं अनुबन्ध की पालना नहीं करने पर बोली प्रतिभूति राशि व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करना एवं आगामी बोलियों से विवर्जित करना :–</u>

यदि कोई सफल बोलीदाता शर्त संख्या 18 में दर्शाई गई अवधि 05 दिवस में अथवा वृद्वि की गई अवधि में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है ,एवं अनुमोदित कार्य की आपूर्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर नहीं देता है, तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी । इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नहीं दी जावेगी। अनुबन्ध की पालना नहीं करने अर्थात माल की आपूर्ति/कार्य नहीं करने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने के साथ–साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 के तहत तीन वर्ष तक के लिए बोली लगाने से विवर्जन किया जा सकेगा।

(20) <u>बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटानाः–</u>

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में पानी के टैंकरों की दर स्वीकृत नहीं की गई है तो ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली खोलने की तिथि के 3 माह पश्चात या बोली पर निर्णय जो भी देरी से हो, लौटाई जा सकेगी। (यदि संबंधित बोलीदाता के विरूद्व कोई राशि बकाया न हो)
2. सफल बोलीदाता के विरूद्व किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं हो, तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को आदेशित आपूर्ति का सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 3 माह बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरूद्व कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। किन्तु अनुबन्ध अवधि समाप्ति से पूर्व नहीं लौटाई जावेगी।
3. स्वीकृत कार्य का बोलीदाता द्वारा (बोली शर्त सं0 20 के अनुसार) निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेंगी। (यदि बोलीदाता के विरूद्व कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो)
4. बोली के समय जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि को, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा। **<u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी दशा में मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि से कम नहीं होगी। चाहे बोलीदाता की कुल आपूर्ति हेतु संविदा की अनुमानित राशि कितनी भी कम हो।</u>**

(21) प्रस्तुत दरों की तुलना राज्य सरकार के नियमों की तहत की जायेंगी।

(22) बोली केवल मीठे पानी के टैंकरों के पानी के टैंकर आपूर्ति से संबंध व्यवसायियों/पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की जायेंगी।

(23) बोलीदाता को निविदा की समस्त शर्तों, पानी की गुणवत्ता आदि को ज्ञान पूर्वक पढ लेनी चाहिए । यदि पानी शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के बारे में शंका हो तो उसका निवारण उपापन संस्था से पूर्व में ही कर लेना चाहिए।

पारख

(24) **राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देनाः—**

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुँचाना ,गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार्य नहीं की जावेगी। और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(25) **सुरक्षित अधिकारः—**

उपापन समिति, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये बोली में अंकित कार्य की दरें सबसे कम दर स्वीकार न करके ऊंची दरें, स्वीकृत कर ले, अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(26) **कानूनी विवाद क्षेत्रः—**

बोलीदाता द्वारा उपापनकर्ता अधिकृति के निर्णय से असहमत होने पर RTPP Act की धारा 38 से 40 तथा RTPP नियम 83 से 85 में प्रदत प्रावधान अनुसार प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर पर अपील के निर्णय के पश्चात विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या संवेदक) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

(27) **वास्तविक व्यापारी द्वारा बोली भरी जाना/बिल प्रस्तुतीकरणः—**

बोली स्वीकार होने के पश्चात् जिस भी अधिकृति से बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है उसी अधिकृति से बिल आदि भुगतान हेतु विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकृति के द्वारा प्रस्तुत बिलों को भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं इस सम्बन्ध में विभाग किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(28) (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अविलम्ब बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले के सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को संवेदक द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए संवेदक की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

(29) **संबंधित कार्य हेतु संबंधित विभाग में पंजीयन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र :—** कोई भी व्यवसायी/ठेकेदार जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विभाग में उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। उस व्यवसाय के लिए पंजीकृत होने का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी। साथ ही जी.एस.टी. एवं आयकर (पैन) पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करानी होगी।

(30) (i) पानी के टैंकरों की आपूर्ति समस्त भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि पानी के टैंकर भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।

(ii) भुगतान करने पर किए गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।

(31). **अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकारः—**

1. बोली के नियम व शर्तो तथा बोली प्रपत्रों में दिये गये विवरण आदि के संबंध में उपापन समिति द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।

2. उपापन समिति को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

(32) **निजी शर्तें लगाकर बोली प्रस्तुत करना:—**बोली शर्तों के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी।

(33) **निरीक्षण अधिकारी:—** बोलीदाता को फर्म का पूर्ण पता व अधिकारी का सम्पर्क नम्बर देना होगा। बोलीदाता की फर्म या कम्पनी का निरीक्षण करने का अधिकार अधीक्षक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।

(34) **बोली शर्तो में शिथिलता करने का अधिकार:—**

बोली शर्तों में शिथिलता करने हेतु केवल उपापन समिति में शक्तियां निहित है।

(35) तकनीकी बिड बोली का भाग होगा। तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज उसी कम में संलग्न करें, जिस कम में बिड में अंकित है। संलग्नक पर वही कम संख्या भी अंकित करें।

(36) बोलीदाता का गत दो वर्षों (2020—21 ,2021—22) में संबंधित समकक्ष व्यवसाय का औसत वार्षिक टर्नऑवर 3.00 लाख होने का सी.ए. का प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी। वर्ष 2021—22 की अनुपलब्धतता की स्थिति में वर्ष 2019—20 का टर्न ऑवर का प्रमाण पत्र की प्रति जमा करानी होगी।

(37) बोली से सम्बन्धित नियम, शर्तें एवं सूचना बोली का भाग है।

(38) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurment Rules 2013) के प्रावधानो के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.13 के अनुसार Annexures अ, ब, स, द भी बोली एवं अनुबंध का भाग है।

(39) उपरोक्त शर्तों में किसी भी प्रकार के विरोधाभाष की स्थिति में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं समय—समय पर जारी संशोधनों लागू होंगे।

(40) उक्त बोली शर्तों में किसी भी प्रकार लिपीकीय त्रुटि होने पर उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(41) उपापन समिति L-1 के अतिरिक्त बोलीदाता की दरें स्वीकृत करने के लिए भी अधिकृत होंगी।

(42) **अपील:—** प्रथम अपील अधिकारी उप महानिरीक्षक, कारागार रेंज कार्यालय, उदयुपर एवं द्वितीय अपील अधिकारी महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर होंगे।

पारख

अधीक्षक
उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

मैंने,/हमने उपरोक्त सभी शर्तों/नियमों को ध्यान पूर्वक पढ लिया है, समझ लिया है जो हमें स्वीकार हैं तथा इनकी पालना करने को सहमत हूँ/है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील एवं दिनांक

कार्यालय, अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर

(पीने के मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति बोली विज्ञप्ति वर्ष 2023-24)

परिशिष्ट 'ब'

वित्तीय बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता की फर्म का पूरा नाम व पता- ....

....

2. ई-मेल आईडी- ....
3. मोबाईल नं- ....
4. निविदा सूचना- क्रमांक-......................दिनांक-..........................
5. मै/हम अपनी निविदा दरें निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे है शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करते है कि इस बिड में उल्लेखित पीने के मीठे पानी के टैंकर आपूर्ति कार्य की निविदा दर प्रस्तुत करने से पूर्व इस हेतु लागू समस्त नियम व शर्तो तथा सम्पूर्ण निविदा प्रपत्रों का भली-भांति अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है तथा उनसे सहमत है जिन्हें स्वीकार स्वरूप समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तदुपरांत अपनी निविदा दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

क्र. स.	नाम आपूर्ति योग्य कार्य	क्षमता	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर (प्रति टैंकर)	जीएसटी की दर व राशि		कुल निविदा दर (कॉलम 04 व 06 का योग)
				दर	राशि	
01	02	03	04	05	06	07
01	पीने के मीठे शुद्व पानी के टैंकर आपूर्ति कार्य	5000 ली.				
		6000 ली.				

राशि अक्षरे रूपये..
(कॉलम 07 में अंकित राशि)

हस्ताक्षर मय मोहर
निविदादाता
फर्म का पता............................